

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 429/2018

वादी  
1 मोटाराम पुत्र लिछमणाराम  
जाति भील निवासी सर का  
पार, बान्दरा तहसील व जिला  
बाडमेर।

बनाम  
1 वगताराम 2 भंवराराम पिसरान  
लिछमणाराम जाति भील निवासी सर का  
पार, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर 3  
तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 RTA Act.

- उपस्थिति :- 1. श्री कैलाश एन सारण, वकील वादी।  
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

निर्णय

दिनांक 18.12.20


संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 429/2018 अनवान मोटाराम बनाम वगताराम वगौराह में दिनांक 18.12.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाडमेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भूअ./2020/3012 दिनांक 01.10.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। उभय पक्षों को उक्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 696/396 रकबा 49.04 बीघा भूमि व मौजा सर का पार पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 614 रकबा 14.02 बीघा कुल रकबा 63.06 बीघा भूमिका विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	नाम ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग	
1	वगताराम पुत्र लिछमणाराम जाति भील सा. देह खातेदार	चन्दाणियों की ढाणी	696/396	16.08	बा.दो.	0.98	नीला	
			सर का पार	614	04.14	बा.दो.		0.29
			योग :-	2	21.02	-		1.27
2	वगताराम भंवराराम पिसरान लिछमणाराम जाति भील सा. देह खातेदार	चन्दाणियों की ढाणी	696/396	32.16	बा.दो.	1.97	लाल	
			सर का पार	614	4.14	बा.दो.		0.28
				614	4.14	बा.दो.		0.28
			योग :-	3	42.04	-		2.53
	महायोग :-		5	63.06	बा.दो.	3.80		

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(रोहित चौहान)  
सहायक कलक्टर  
(एसडीओ) बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 18.12.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(एसडीओ) बाडमेर  
(SDO) बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर  
पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री  
अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मोटाराम पुत्र लिछमणाराम जाति भील निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 वगताराम 2 भंवराराम पिसरान लिछमणाराम जाति भील निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।
दावा बाबत् 53, 88 व 188 रा.का.अ.		
मुकदमा नम्बर :- 429/2018		
निर्णय दिनांक :- 18.12.20		

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.12.20 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 696/396 रकबा 49.04 बीघा भूमि व मौजा सर का पार पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 614 रकबा 14.02 बीघा कुल रकबा 63.06 बीघा भूमिका विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	नाम ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	वगताराम पुत्र लिछमणाराम जाति भील सा. देह खातेदार	चन्दाणियों की ढाणी	696/396	16.08	बा.दो.	0.98	नीला
		सर का पार	614	04.14	बा.दो.	0.29	
		योग :-	2	21.02	-	1.27	
2	वगताराम भंवराराम पिसरान लिछमणाराम जाति भील सा. देह खातेदार	चन्दाणियों की ढाणी	696/396	32.16	बा.दो.	1.97	लाल
		सर का पार	614	4.14	बा.दो.	0.28	
		योग :-	3	42.04	-	2.53	
महायोग :-		5	63.06	बा.दो.	3.80		

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 18.12.20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रोहित चौहान)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	